प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक: 31 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60- वन विभाग- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजना- "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" के अन्तर्गत विभिन्न पक्षी/वन्य जीव विहारों हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यो के लिए अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की द्वितीय किश्त के सापेक्ष रू0 30.39 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1162/36-टी-77, दिनांक 17.03.2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-13-24/2015-डब्ललू0एल0-1/70, दिनांक 19-02-2016 द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता रू0 46.53 लाख की द्वितीय किश्त के उपयोग हेतु कुल आवश्यक धनराशि रू0 96.404 लाख के सापेक्ष योजनान्तर्गत पूँजीलेखा के सुसंगत मानक मदों में उपलब्ध आय-व्ययक रू0 30.39 लाख (रू0 तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या 60-	
पूँजीलेखा -	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव -	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -	
0106-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स -	
15-गाडियों का अनरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	**20**
25-लघु निर्माण कार्य	**2929**
26-मशीनें ओर सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	**90**
योग	**3039**

(रू0 तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतय के संबंध जिस व्य : र्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के पुस्तिका के अन्तय हस्तमें वित्ती सहमति लिया जाना अपेक्षित / सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमतिअनुसार शासन के अथवा अन्य हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत :प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं-0सी/1132 0ए0दस-2004-मित 2004/1-दिनांक तथा 07.01.2005

2/-

शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष कृत तथा चालू योजनाओं पर ही में स्वी 16-2015 यन के किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्व लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1162/36-टी-77 दिनांक 17 मार्च, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-857(1)/चौदह-4-2016-500(18)/2012टी.सी.।। तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उय भवनकेन्द्री 0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख् वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (यकव्य-आय) अनुभाग/1- वित्त 7-अनुभाग (नियंत्रण-यव्य)
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।